राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 24 सितम्बर, 1990

क्रमांक 1616-ज-II-90/23633.—श्री माई लाल पुत्र श्री फतेह सिंह निवासी गांव चोरटा पुर, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (Iए) तथा 3(Iए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1524-ज-I-75/18870, दिनांक 30 जून, 1975 द्वारा 100 रुपए वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा 150 रुपए और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040,दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ा कर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री माई लाल की दिनांक 8 अक्तूबर, 1989 की हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिसूचना (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री माई लाल की विधवा श्रीमती कस्तूरी देवी के नाम खरीफ, 1990 से 300 रुपए वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 27 सितम्बर, 1990

क्रमांक 1433-ज-1-90/23972.—श्री परमानन्द, पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी गांव हमीद पुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(Iए) तथा 3(Iए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1025-ज-1-78/22369, दिनांक 11 अगस्त, 1978 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री परमानन्द की दिनांक 1 फरवरी,, 1988 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री परमा नन्द की विधवा श्रीमती जानकी देवी के नाम खरीफ, 1988 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

सागर मल,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

LATE NOTIFICATIONS